

राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी का मूल्यांकन

खैरूल जहाँ¹, डॉ. अम्बिका बंसल²

¹राजनीति विज्ञान विभाग, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, भारत

²प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

गाँधी जी मूलतः एक राजनीतिज्ञ कम और आध्यात्मिक सन्त अधिक थे। उन्होंने राजनीति में सत्य, अहिंसा, नैतिकता और धर्म जैसे तत्त्वों को समाहित करने का जो प्रयास किया वह कोई सन्त ही कर सकता है, राजनीतिज्ञ नहीं। गाँधी जी के सिद्धान्तों और व्यवहार में कोई अन्तर नहीं था। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, नैतिकता, धर्मादि में उनकी गहरी आस्था थी। उनके लिए राजनीति धर्म तथा नैतिकता की एक शाखा थी। स्वाभाविक था कि उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का समर्थन किया। यद्यपि वह समाजवाद में विश्वास करते थे, किन्तु मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष तथा हिंसक उपायों का विरोध करते थे। गाँधी जी अराजकतावादी विचारों से सहमत थे, लेकिन राज्य को नष्ट करने के स्थान पर वह एक अहिंसात्मक राज्य की स्थापना की वकालत करते थे। प्लेटो, एक्विनास, रूसो आदि विचारकों की भांति गाँधीजी केवल कल्पना की दुनिया में विचरण करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वरन् गाँधीजी एक महान् कर्मयोगी थे, जिन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। गाँधीजी के राजनीतिक विचारों को 'गाँधीवाद' की संज्ञा दी जाती है।

मूल शब्द: गाँधीवाद, अराजकतावाद, सत्य और अहिंसा, राष्ट्रीय आंदोलन

गाँधीजी अपने सादा जीवन उच्च विचार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन इस तरह एक साधु अथवा संत के जीवन के समान था। परन्तु परम्परागत तरीके से जिस तरह साधु या संत सामाजिक जीवन से प्रथक एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं और भौतिक जगत अथवा तत्त्वों का त्याग करते हैं,

गाँधीजी ने ऐसा नहीं किया। वे समाज में एक सक्रिय जीवन यापन करने के पक्षधर थे। परम सत्य या ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने भौतिक जगत के सत्य को आवश्यक माना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की समस्याओं के प्रति वे सजग थे और सक्रिय प्रयासों से उन्होंने इन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया इसलिए वे संतों में एक राजनीतिज्ञ के रूप में स्वीकारे जाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान में राजनीति व्यक्ति के जीवन की सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है।

महात्मा गांधी का जीवन परिचय

गाँधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ई. को सौराष्ट्र के काठियावाड़ के पोरबन्दर नामक नगर में हुआ। उनके पिता करमचन्द गाँधी रियासत के दीवान थे। बालक मोहनदास के जीवन पर उनकी माता पुतलीबाई का अधिक प्रभाव था, यही कारण है कि वे एक आदर्शवादी, मानवतावादी, आध्यात्मवादी तथा कर्मवादी थे। उनमें अपूर्व समन्वयात्मक शक्ति थी। उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हो गया था। वे हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 19 वर्ष की आयु में बैरिस्टरी (वकालत) की पढ़ाई करने इंग्लैण्ड गये। सन् 1887 से सन् 1891 तक वे बड़े संयम से इंग्लैण्ड में रहे और सन् 1891 में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए। शुरु में उन्होंने राजकोट में वकालत प्रारम्भ की कुछ समय बाद वे वकालत करने बम्बई चले गये परन्तु वहाँ कोई विशेष सफलता नहीं मिली। यहीं उनका सम्पर्क एक धन-सम्पन्न मुस्लिम व्यापारी से हुआ जिसका दक्षिण अफ्रीका में व्यापार-व्यवसाय फैला हुआ था। उस व्यापारी के विशेष आग्रह पर उसकी फर्म के मुकदमों की पैरवी के लिये व्यापार संस्थान के

कानूनी सलाहकार के रूप में सन् 1893 में गाँधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गये।

महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार:

महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों का वर्णन उनके इन शीर्षकों के अन्तर्गत बांटा जा सकता है—

1. राजनीति का आध्यात्मिकरण।
2. महात्मा गांधी के अहिंसा का सिद्धांत।
3. महात्मा गांधी के सत्याग्रह का सिद्धांत।
4. महात्मा गांधी के राज्य का सिद्धांत।
5. महात्मा गांधी के सर्वोदय का सिद्धांत।

1. राजनीति का आध्यात्मिकरण

महात्मा गांधी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण व मौलिक देन राजनीति का आध्यात्मिकरण करना है। महात्मा गांधी राजनीतिज्ञ से पहले एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति और धर्म के बीच एक अटूट रिश्ता कायम किया और राजनीति को धर्म पर आधारित करके निःस्वार्थ लोक सेवा तथा नैतिकता के विकास का साधन बनाया। उनकी दृष्टि में धर्महीन राजनीति की कल्पना करना सबसे बड़ा पाप था। महात्मा गांधी ने राजनीति के प्रचलित अर्थ को नकारते हुए इसे नया रूप दिया। इसलिए वे राजनीतिक विचारक न होकर जीवन के कलाकार व धर्म के उपासक थे। उनके जीवन का उद्देश्य किसी राजनीतिवाद का प्रतिपादन करना नहीं था, बल्कि आत्मदर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार एवं मोक्ष था। इसलिए उन्होंने धर्म को मानव जीवन की धुरी बनाया और उसे राजनीति के साथ अटूट रिश्ते के रूप में जोड़ दिया। उन्होंने छल-कपट पूर्ण राजनीति की निन्दा करते हुए इसे सर्प की संज्ञा दी है। उनका मानना है कि धर्म के बिना इस राजनीति का कोई प्रयोजन नहीं है। यह प्राणी मात्र के लिए सुख का सच्चा साधन कदापि नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने राजनीति के विकृत रूप को मिटाने के लिए उसका आध्यात्मिकरण किया है। उन्होंने राजनीति के विकृत रूप के बारे में लिखा है— "मैं जिन धार्मिक व्यक्तियों से मिला हूँ, उनमें से अधिकांश छिपे वेश में राजनीतिज्ञ

हैं। किन्तु राजनीतिज्ञ का चोला धारण करने वाला मैं अपने हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हूँ।" उन्होंने राजनीति के विकृत रूप अर्थात् धर्महीन राजनीति के बारे में आगे कहा है— "यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूँ, तो इसका कारण यही है कि राजनीति हम सबको सर्प के समान घेरे हुए हैं, जिससे कोई चाहे कितनी ही चेष्टा करे, बाहर नहीं निकल सकता, मैं उस सर्प से युद्ध करना चाहता हूँ। मैं राजनीति में धर्म का समावेश करना चाहता हूँ" इससे स्पष्ट है कि गांधी जी ने राजनीति में हिस्सा, उसे जनसेवा का साधन बनाने के लिए ही लिया। उन्होंने जीवन भर राजनीति में ऐसे प्रयोग किए, जो जन-कल्याण को बढ़ावा देने वाले थे।

2. महात्मा गांधी के अहिंसा का सिद्धांत

गांधीजी और सत्य— गांधीजी ने अपनी आत्मकथा 'My Experiments with Truth' में लिखा है कि "मेरे निरन्तर अनुभव ने मुझे विश्वास दिया है कि सत्य से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है और सत्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय अहिंसा है। अहिंसा की पूर्ण सिद्धि से ही सत्य का पूर्ण दर्शन प्राप्त किया जा सकता है"। गांधीजी के लिए ईश्वर और सत्य में कोई अन्तर नहीं है। उनके लिए ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। गांधीजी के धर्म का आधार भी सत्य एवं अहिंसा है। सत्य क्या है, इस सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा था, "यह एक बहुत ही कठिन प्रश्न है. प्रश्न स्वयं अपने लिए मैंने हल कर लिया है। तुम्हारी अन्तरात्मा जो कहती है, वही सत्य है।" उन्होंने कहा था, "मेरे लिए सत्य एक ऐसा सिद्धान्त है जिसमें दूसरे और बहुत से सिद्धान्त आ जाते हैं। यह सत्य केवल शब्द में ही सत्यता नहीं है, वरन् विचार में भी सत्यता है और न केवल हमारी कल्पना का सापेक्ष सत्य ही है, अपितु पूर्ण सत्य, शाश्वत सिद्धान्त अर्थात् ईश्वर ही है।" इस प्रकार गांधीजी ने सत्य का बहुत व्यापक अर्थ लिया है।

गांधीजी और अहिंसा

गांधीजी का समस्त दर्शन सत्य और अहिंसा के पवित्र स्तम्भों पर टिका हुआ है। गांधीजी के अनुसार अहिंसा के बिना सत्य अपूर्ण है। वे दोनों एक ही हैं। गांधीजी के अनुसार बुराई का विरोध हिंसा के स्थान पर आत्मिक शक्ति (अहिंसा) के द्वारा करना चाहिए। गांधीजी सत्य और अहिंसा के महान् पुजारी थे। 'Young India' में उन्होंने लिखा है कि "अहिंसा मेरा ईश्वर है और सत्य मेरा ईश्वर है। जब मैं अहिंसा की खोज करता हूँ, तो सत्य कहता है कि इसे मेरे द्वारा प्राप्त करो।" गांधीजी ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन अहिंसा का पालन करना बताते हैं।

कायरता अहिंसा नहीं है

गांधीजी लिखते हैं कि "मैं यह जरूर मानता हूँ कि जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ हिंसा की सलाह दूंगा। मैं चाहूँगा कि भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भले ही शस्त्रों का आश्रय ले, मगर कायर बनकर अपनी बेइज्जती का निःसहाय साक्षी न बने, मौन न रहे। पर मेरा विश्वास है कि हिंसा से अहिंसा कहीं श्रेष्ठ है, क्षमा में हिंसा की अपेक्षा अधिक वीरत्व है। क्षमा वीरों का भूषण है। पर दण्ड देने की शक्ति होने पर भी दण्ड न देना सच्ची क्षमा है। जब कोई निःसहाय प्राणी क्षमा करने का दम्भ भरता है, तो वह निरर्थक है; परन्तु मैं भारत को निःसहाय नहीं मानता। बल शारीरिक क्षमता से नहीं, अजेय संकल्प शक्ति से आता है।"

अहिंसा और निर्भयता

गांधीजी के अनुसार, "अहिंसा और कायरता का कोई मेल नहीं है। मैं पूरी तरह से शस्त्र सज्जित मनुष्य के हृदय में कायर होने की कल्पना कर सकता हूँ। हथियार रखना कायरता नहीं तो कुछ

भय का होना जाहिर तो करती है, पर सच्ची अहिंसा शुद्ध निर्भयता के बिना असम्भव है।" गांधीजी एक आदर्शानुखी यथार्थवादी व्यक्ति थे। उनका अहिंसा का सिद्धान्त केवल ऋषया और विशेष मनुष्यों के लिए नहीं था वरन् वह सामान्य जन के लिए भी था। उनके विचार में अहिंसा मानव जीवन का नियम है और हिंसा पर जीवन का। गांधीजी के अनुसार, "बुराई का विरोध हिंसा के स्थान पर आत्मिक शक्ति (अहिंसा) द्वारा करना चाहिए।" अहिंसा के पक्ष— गांधीजी के अनुसार अहिंसा के दो पक्ष हैं— (1) नकारात्मक, और (2) सकारात्मक।

नकारात्मक रूप में किसी प्राणी को काम, क्रोध तथा विद्वेष के वशीभूत होकर हिंसा अथवा कष्ट न पहुँचाना है। गांधीजी के शब्दों में, "अहिंसा का अर्थ पृथ्वी के किसी भी प्राणी को मन, वचन अथवा कर्म से कष्ट न पहुँचाना है।"

सकारात्मक स्वरूप वाली अहिंसा को सार्वभौम प्रेम और करुणा की भावना कहा जाता है। इसके चार मूल तत्त्व हैं— प्रेम, धैर्य, अन्याय का विरोध तथा वीरता।

3. महात्मा गांधी के सत्याग्रह का सिद्धांत

महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के लिए जिस उपाय का प्रयोग किया, वह सत्याग्रह है। उनका यह सिद्धांत सत्य की अवधारणा पर आधारित है। सत्य के प्रबल समर्थक होने के नाते गांधी जी का मानना था कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया। इसे वहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया। लेकिन गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध अलग-अलग हैं। सत्याग्रह शुद्ध अहिंसक साधनों पर आधारित तकनीक है। इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सत्य इसका आधार है। इसमें आत्मबल रूपी शस्त्र का ही प्रयोग किया जाता है। यह एक आदर्श है, कर्म योग का एक व्यावहारिक दर्शन है और एक क्रियाशील अवधारणा है।

1 असहयोग— असहयोग का अर्थ यह है कि हम जिसके विरुद्ध सत्याग्रह करते हैं उससे अपने सम्बन्ध तोड़ लें, उसके साथ सहयोग न करें और कोई काम ऐसा न करें जिससे उसे अपने अनैतिक कार्यों में सहायता अथवा प्रोत्साहन मिले। गांधीजी ने सन् 1920 में राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान इसे व्यावहारिक रूप दिया। असहयोग में निम्न साधन सम्मिलित किए जा सकते हैं— (प) हड़ताल, (पप) सामाजिक बहिष्कार, और (पअ) धरना।

2 सविनय अवज्ञा— इसका अर्थ है— अनैतिक कानूनों की अवज्ञा। गांधीजी ने सन् 1930-31 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया था।

3 हिजरत— इसका अर्थ है— स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आपको पीड़ित अनुभव करते हों, आत्म-सम्मान रखते हुए उस स्थान पर नहीं रह सकते हों और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हो, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है।

4 अनशन— यह सत्याग्रह का ही एक रूप है। गांधीजी का विचार था कि अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्म-शुद्धि या अत्याचारी के हृदय परिवर्तन के लिए ही किया जाना चाहिए।

4. महात्मा गांधी के राज्य का सिद्धांत

राज्य के बारे में गांधी जी की धारणा मूलतः अराजकतावादी है। गांधी जी ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, उन्होंने

दार्शनिक आधार पर राज्य को व्यक्तित्व विकास में बाधा मानकर उसका विरोध किया है। गांधी जी का कहना है कि राज्य दण्ड और कानून का भय दिखाकर व्यक्ति से अपनी बात मनवा लेता है। इससे हिंसा व पाशिवक बल को बढ़ावा मिलता है और नैतिकता का मार्ग अवरुद्ध होता है। इसलिए राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में न्यूनतम कार्यक्षेत्र में रहना चाहिए। उसे व्यक्ति के जीवन को अधिक से अधिक स्वतन्त्र व स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। गांधी जी राज्य को समाप्त करने के पक्ष में अपने मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शासन व्यवस्था चाहे कितनी भी लोकतान्त्रिक हो, फिर भी उसकी जड़ में सदैव हिंसा रहती है, वह गरीबों का शोषण करता है और पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषक होता है। यह पुलिस, न्यायालय, सेना आदि के माध्यम से व्यक्तियों पर अपनी इच्छा थोपता है। इससे नैतिक मूल्यों को आघात पहुंचता है। राज्य की आज्ञा का मनुष्य के नैतिक कार्यों से कोई सम्बन्ध न होने के कारण व्यक्तित्व का विकास भी रूक जाता है। इसलिए हिंसा और पाशिवक शक्ति पर आधारित होने के कारण राज्य एक आत्मा रहित मशीन है जो मानव जाति को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है।

गांधी जी ने लिखा है— "राज्य हिंसा का धनीभूत और संगठित रूप है। एक व्यक्ति में आत्मा होती है, किन्तु राज्य आत्मा रहित यन्त्र मात्र है। यह हिंसा पर जीवित रहता है और इसे हिंसा से कभी अलग नहीं किया जा सकता।" इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति की इच्छा से परे होता है, अनैतिक होता है। हिंसा व भय के वातावरण में किया गया प्रत्येक कार्य सदैव अनैतिक ही होता है। इसलिए गांधी जी ने राज्य की शक्ति को भय की दृष्टि से देखा है और उसे व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानकर उसे समाप्त करने का विचार प्रस्तुत किया है। इसी कारण अनेक विचारकों ने गांधी जी को एक अराजकतावादी विचारक कहा है।

गांधी जी ने राज्य के स्थान पर एक ऐसे आदर्श समाज या राज्यविहीन लोकतन्त्र (Stateless Democracy) की स्थापना का विचार पेश किया है। इसे राम राज्य की कल्पना भी कहा जा सकता है। गांधी जी ने इसे स्वयं स्वराज्य की संज्ञा दी है और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में इस आदर्श राज्य का व्यावहारिक ढांचा पेश किया है। गांधी जी ने अहिंसा को आदर्श समाज की स्थापना का आवश्यक तत्व मानकर, उस पर ही अपने आदर्श समाज की स्थापना की कल्पना की है। उन्होंने अहिंसात्मक समाज में सरकार का स्वरूप लोगों पर ही छोड़ने की बात स्वीकार की है। उन्होंने 11 फरवरी 1939 को 'हरिजन' पत्रिका में लिखा था कि— "अहिंसा पर आधारित समाज में सरकार की रूप-रेखा क्या होगी, मैं जान-बूझकर इसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ—जब समाज अहिंसा के नियम के अनुसार स्वयं बन जाएगा तो उसका रूप आज के समाज से पूर्ण रूप से भिन्न होगा।" इससे स्पष्ट है कि गांधी जी ने अपने आदर्श समाज या राम राज्य की कोई निश्चित रूप-रेखा प्रस्तुत नहीं की। उसने कल्पना मात्र के आधार पर ही रामराज्य का ढांचा पेश किया है, जिसके आधार पर उनके आदर्श समाज या रामराज्य की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं।

5. महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधी विचार

सत्य व अहिंसा की साक्षात् मूर्ति महात्मा गांधी भारत के ही नहीं, बल्कि सारे संसार के व्यक्ति थे। उनके हृदय में समस्त मानव जाति के प्रति असीम श्रद्धा का भाव था। वे एक ऐसे कर्मयोगी थे जो कथनी और करनी को बराबर महत्व देते थे। वे किसी एक धर्म, जाति, देश व समुदाय के कल्याण के पक्षपाती न होकर सम्पूर्ण विश्व में मानव जाति के कल्याण व उत्थान का स्वप्न

देखते थे। उनकी यह दूरदर्शी सोच थी कि भारत के स्वतन्त्र होने पर भारतीय समाज की सामाजिक व आर्थिक बुराईयों का अन्त करना उनकी प्राथमिकता होगी। भारतीय स्वतन्त्रता का स्वप्न तो गांधी जी के जीवनकाल में साकार हो गया लेकिन सम्पूर्ण जाति का कल्याण करने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई।

आधुनिक समय में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता

गांधी जी का जीवन दर्शन एक कर्मयोगी व व्यावहारिक राजनीति का है। यद्यपि उन्होंने किसी क्रमबद्ध सिद्धान्त या दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन उनके विचार विश्व शान्ति के लिए प्रकश स्तम्भ हैं। उनका राजनीतिक चिन्तन उदारवाद और मानवतावाद पर आधारित होने के कारण सर्वहारा वर्ग के हितों का पोषक है। उनका राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का विचार आज की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने व राजनीति को जनकल्याण का साधन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण देन है। उनका सर्वोदय तथा अहिंसा का सिद्धान्त विश्व बन्धुत्व की भावना को बढ़ावा देने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मधुरता पैदा करने का अचूक शस्त्र है, इतना होने के बावजूद भी शांति के पुजारी तथा आध्यात्मिक के अग्रदूत व प्रणेता महात्मा गांधी के विचारों को अनेक राजनीतिक विचारक अव्यावहारिक व अप्रासंगिक मानते हैं। उनका कहना है कि गांधी जी के सिद्धान्त आदर्श मात्र हैं, व्यावहारिक नहीं।

उनका सत्य व अहिंसा का सिद्धान्त निस्सन्देह मूल्यवान व महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। परन्तु अब प्रश्न यह पैदा होता है कि आज के आणविक युग में इसकी क्या प्रासंगिकता है। आज प्रत्येक राष्ट्र अपने को सामरिक दृष्टि से सुरक्षित देखना चाहता है। दो विश्व युद्धों ने मानव को आतंक व भय के वातावरण में जीने के लिए जिस कद्र बाध्य किया है, उससे राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा आवश्यक व महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का लक्ष्य बन गया है। इसलिए व्यवहार में इस सिद्धान्त को लागू करना असम्भव है। कोई भी देश अहिंसा के सिद्धान्त के सहारे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को नहीं छोड़ सकता। इसी तरह उनका रामराज्य का स्वप्न भी मात्र कपोल कल्पना है। कुटीर उद्योग वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल नहीं हो सकते। आज का युग विज्ञान का युग नए-नए आविष्कारों ने औद्योगिक प्रणाली को पूरी तरह यन्त्रचालित बना दिया है। महात्मा गांधी ने औद्योगिक क्षेत्र की जटिलताओं की तरफ ध्यान न देकर अव्यावहारिक होने का ही परिचय दिया है।

निष्कर्ष

यद्यपि महात्मा गांधी के सिद्धान्त वर्तमान समय में अव्यावहारिक लगते हैं, लेकिन गांधी जी ने अपने सिद्धान्तों में सत्य, प्रेम और उदारता के जो नियम बताए हैं, वे शाश्वत महत्व रखते हैं। यह सत्य है कि आज के वैज्ञानिक युग में आणविक शस्त्रों की छत्र-छाया में शांति के महात्मा गांधी द्वारा बताए गए उपाय निरर्थक मालूम होते हैं। लेकिन यदि मानतवा को तीसरे विश्व युद्ध के विनाश से बचाना है, तो महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को महत्व देना होगा। आज सभी देश महसूस करते हैं कि विश्व के सामने महात्मा गांधी के शान्ति मॉडल के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय शेष नहीं है। यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो सम्पूर्ण मानवता नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इस धरती से मानव सभ्यता का अस्तित्व ही लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज यह आवश्यक है कि महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को अपनाया जाए।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी के विचार जितने प्रासंगिक व व्यावहारिक 1947 से पहले व 1947 में थे, आज भी बन सकते हैं, यदि उनको सच्चे हृदय से जीवन में उतारा जाए। आज विश्व में हो रहे निःशस्त्रीकरण के उपाय महात्मा गांधी के शान्ति विचारों के ही पर्यायवाची हैं। अतः महात्मा गांधी के विचार

आधुनिक युग में भी प्रासंगिक होने के साथ-साथ काफी महत्वपूर्ण व शाश्वत महत्व के हैं।

सन्दर्भ सूची

1. मिश्र, आत्मानन्द (1972)– भारतीय शिक्षा के प्रवर्तक, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
2. एम.बी. बुच (1988–92)– फिफथ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, वाल्यूम-2.
3. डॉ० सरोज कुमार वर्मा (1991)– आचार्य रजनीश के दार्शनिक विचार पी० एच–डी० एजुकेशन।
4. जे०एम० भट्ट (1973)– “विनोबा भावे के शिक्षा दर्शन का अध्ययन,” पी०–एचडी०, शिक्षा एस० पी० वि० वि०, उद्धृत सेकेण्ड सर्वे आफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन, पृष्ठ 31
5. सिंह, प्रवीण कुमार (2007)– भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समाजवादी चिन्तकों के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन”।
6. गॉधी, एम०के (2008)– सत्य के साथ मेरे प्रयोग, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस।
7. पाण्डेय, संगम लाल (2014)– नीतिभास्त्र का सर्वेक्षण, सेंट्रल पब्लिशिंग हाउस।
8. गॉधी, महात्मा (2009)– जीवन और दर्शन, लोकभारती पेपरबैक्स।